"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 फरवरी 2013—माघ 16, शक 1934

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक/पं.-156/पंग्राविवि/22/2013/72.—छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 46 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिन का अवसान होने पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, मंत्रालय, नया रायपुर (कक्ष क्र. S0-41) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों मे :—

1. नियम 3 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु कोई समिति ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी, जो विषय विशेषज्ञ हों या जो सौंपे गये विषय/कार्य का अनुभव रखते हों तथा ऐसे सहयोजित व्यक्तियों को कार्यवाहियों के दौरान मत देने का अधिकार नहीं होगा;"

2. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"6. **स्थायी समिति के सचिव**— ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों के सचिव नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित अनुसार होंगे :—

सारणी

स. क्र. (1)	स्थायी समिति (2)	स्थायी समिति के सचिव (3)
1.	सामान्य प्रशासन समिति	सचिव ग्राम पंचायत
2.	निर्माण तथा विकास समिति	सचिव ग्राम पंचायत
3.	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ए एन एम/ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी.
4.	कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन समिति	ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/पशु विकास विस्तार अधिकारी.
5.	राजस्व तथा वन समिति	ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन पटवारी/ वनरक्षक.

जिला कलेक्टर द्वारा कालम (3) में उल्लेखित किसी एक अधिकारी को उसके पदस्थापना स्थान, पंचायत के मुख्यालय एवं अन्य तथ्यों को विचार में रखते हुए किसी विशिष्ट पंचायत की स्थायी समिति का सचिव नियुक्त कर सकेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

क्रमांक/पं.-156/पंग्राविवि/22/2013/73.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं.-156/पंग्राविवि/22/2013/72, दिनांक 05-02-2013 से संबंधित अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव.

Raipur, the 5th February 2013

NOTIFICATION

No./P-156/PGVV/22/2013/72.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Term of office of members of standing committee and procedure for the conduct of business) Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 46 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of Seven days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

Any objections or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Deputy Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Government of

Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Capital Complex, Mantralaya, Naya Raipur, (Room No. S0-41) shall be considered by Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. For first proviso to sub-rule (2) of rule 3, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that any committee may co-opt persons being subject experts or having knowledge of subject/work assigned and such co-opted persons shall not have voting right during the proceedings:"

2. For Rule 6, the following shall be substituted, namely :—

"6. **Secretary of Standing Committee :**—The Secretary of Standing Committees of the Gram Panchayat shall be as mentioned in the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Standing committee (2)	Secretary of Standing committee (3)
1.	General Administration committee	Secretary Gram Panchayat
2.	Construction and Development Committee.	Secretary Gram Panchayat
3.	Education, Health and Social Welfare committee.	Anganbadi Karyakarta/ANM/Assistant Development Extension Officer of Rural Development Department.
4.	Agriculture, Animal Husbandry and Fishery committee.	Rural Agriculture Extension Officer/ Veterinary Development Extension Officer under the jurisdiction of Gram Panchayat.
5.	Revenue and Forest committee	Patwari/Forest Guard under the jurisdiction of Gram Panchayat.

The District Collector may Appoint any one official mentioned in column 3 as Secretary of Standing committee of any Specific Panchayat taking in to consideration his place of posting head-quarter of panchayat and other facts."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DHANANJAY DEWANGAN, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.